राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/21

दायर दिनांक 28.06.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. प्रहलाद पुत्र हीराराम जाति जाट नि0 ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. कमला देवी पत्नि किशनाराम जाति जाट नि0 ग्राम जाजोता हाल नि0 रूपनगढ
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय **दिनांक 22.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़, भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 847 के ख0न0 3408/1200 रकबा 0.0202 है0 किस्म बारानी 3 भूमि अवस्थित है, जिसमे प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार सम्पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 मेरी खातेदारी की कृषि भूमि में नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद उत्पन ना हो तथा मौके की यथास्थिति बनाई रखे। इसलिए प्रार्थी की ओर से उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने के संवंध में धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है । वही जब तक मुझ प्रार्थी की कृषि आराजी की पत्थरगढी नही हो जावे तव तक मेरी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से छेड़छाड़ नही कि जावे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। वही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्तमान में मेरी खन्दक के साथ छेड़छाड़ नहीं करे तथा मौका की यथास्थिति की कृषि पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी कृषि आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी को अपने खेतो में भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई–गुडाई, जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 3408/1200 रकबा 0.0202 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर [illegible] राशि रुपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके [illegible] भुगतान [illegible]। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा [illegible] आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:19:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़–अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)